10

OUR PUBLICATIONS

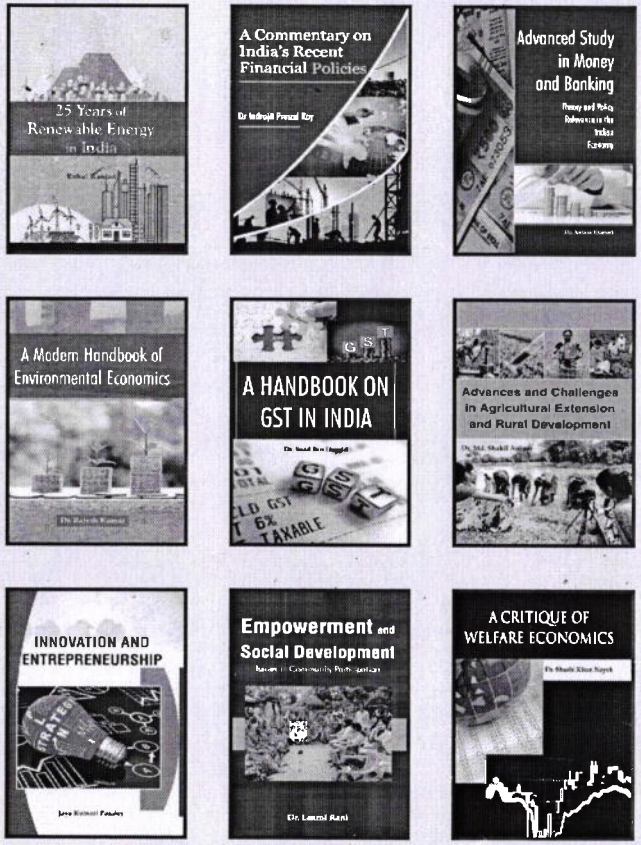

Jobus Press
448, Pocket-V, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 (INDIA)
Ph.: 011-22753916

Seth R.C.S. Arts & Commerce College
DURG
Chhattisgarh

ISSN 0975-119X
UGC-CARE GROUP I LISTED
वर्ष 11 अंक 5 सितंबर-अक्टूबर 2019

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

India's Leading Refereed Hindi Language Journal

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

10

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

संपादक

डॉ. अश्विनी महाजन

रीडर, डी.ए.वी. पी.जी. कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

दृष्टिकोण प्रकाशन

WZ-724, पालम गांव, नई दिल्ली-110045

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

वर्ष : 11 अंक : 5 ❑ सितम्बर-अक्टूबर, 2019

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

डॉ. अरुण अग्रवाल
ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरबोरोग, ओन्टारियो

डॉ. दया शंकर तिवारी
राजधानी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी

डॉ. प्रकाश सिन्हा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

डॉ. दीपक त्यागी
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर

डॉ. अरुण कुमार
रांची विश्वविद्यालय, रांची

डॉ. महेश कुमार सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका

डॉ. पूनम सिंह
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

डॉ. एस. के. सिंह
पटना विश्वविद्यालय, पटना

डॉ. अनिल कुमार सिंह
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा

डॉ. मिथिलेश्वर
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

डॉ. अमर कान्त सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, भागलपुर

संपादकीय सम्पर्क:
448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
फोन : 011-22753916
e-mail : editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com

©Editorial India

Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

ISSN 0975-119X

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

कबीर और मानवतावाद–डॉ० सुमन देवी 1168

मनुस्मृति में स्त्री विमर्श–डॉ० रजनीकान्त राय 1171

तत्कालीन कश्मीर की सामाजिक व्यवस्था–मीना देवी 1175

अरुण कमल के काव्य के संवेदनागत आयाम–डॉ० प्रमोद कुमार द्विवेदी 1179

निराला की कविता में अन्तर्द्वन्द्व–कु० माला 1184

1946 का नव सेना विद्रोह : एक ऐतिहासिक अध्ययन–सत्य रंजन कुमार; डॉ० रामा कान्त शर्मा 1189

आध्यात्मिक विकास की भूमियाँ–डॉ० श्रीप्रकाश तिवारी 1194

आधुनिक भारतीय शिक्षा और स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन–डॉ० अलका सक्सेना 1199

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव (सुरतगढ़ तहसील के विषेष संदर्भ में)
–डॉ० देवेन्द्र मुझाल्दा; कैलाश सोलंकी 1203

सांसद निधि की अवधारणा, समस्या एवं समाधान–यशोदा पटेल; डॉ० आयशा अहमद 1207

अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन–शक्ति सिंह 1210

सोलहवीं शती के कृष्णकाव्य की सांस्कृतिक व दार्शनिक पृष्ठभूमि–डॉ० ज्ञानेश चन्द्र पाण्डेय 1213

स्त्री-स्वातंत्र्य का अनमोल दस्तावेज: दिव्या–डॉ० मनोज कुमार पाण्डेय 1215

मुगलकालीन कला में ईरानी व भारतीय कलाओं का समावेश–प्रभात वर्मा 1218

सौदा अभिवाक् न्याय-एक विवेचन–जितेन्द्र भारती 1221

अध्यापकों के दायित्वबोध का अध्ययन–प्रज्ञा सिंह 1223

मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिन्दी साहित्य का विकास–डॉ० राकेश रंजन सिन्हा 1227

मार्कण्डेय के कथा साहित्य में अभिवयक्त भारतीय ग्रामीण समाज में नारी की स्थिति–आशुतोष कुमार सिंह 1230

विवेकी राय के उपन्यासों का शिल्प पक्ष–प्रोफेसर दक्षा मिस्त्री; विरेन्द्र कुमार सिंह 1237

सौन्दर्य और संघर्ष की प्रतिछवियाँ–डॉ० वीना सुमन 1245

गठबन्धन सरकारों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका: एक अवलोकन–डॉ० शैलेश कुमार राम 1248

मध्यकालीन भारत में इतिहास-लेखन: एक अवलोकन–माया नन्द 1254

रचनाकार जैनेन्द्र कुमार : व्यक्तित्व एवं कृतित्व–डॉ० गिरीश चन्द्र जोशी 1256

तराई भाबर के वनाश्रित समुदायों पर वन संरक्षण नीतियों का प्रभाव (1815 से वर्तमान तक)–डॉ० रीतेश साह; गौरव कुमार 1259

कुमाऊँनी लोककला एवं लोकनृत्य एक सांस्कृतिक अध्ययन–कु० बबीता आर्या 1264

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी में भूमिका–डॉ० साद बिन हामीद; डॉ० तनवीर अहसन निज़ामी 1267

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत-पाकिस्तान के मध्य सैनिकों और सशस्त्र बलों का विभाजन–डॉ० राहुल कुमार 1271

प्राचीन भारत में समावेशी संस्कृति के तत्व–डॉ० पार्थ सारथी 1274

मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में स्त्री विमर्श के विविध संदर्भ–डॉ० सुषमा पाल 1278

हिन्दी कथा-साहित्य में दलित कहानी एवं कहानीकार–डॉ० रीना देवी गोरा 1282

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

सांसद निधि की अवधारणा, समस्या एवं समाधान

यशोदा पटेल

शोधार्थी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, छ.ग (भारत)

डॉ० आयशा अहमद

सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान विभाग) सेठ.आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग)

प्रस्तुत शोध पत्र में सांसद निधि की अवधारणा समस्या एवं समाधान का अध्ययन किया गया है। सांसद निधि योजना जब से लागु हुई है तब से विवादो में घिरा हुआ है नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं अन्य रिर्पोट के अनुसार इस पर भष्ट्राचार का आरोप लगाया गया था इसलिए इस विषय पर अध्ययन की आवश्यकता है।

प्रस्तावना - स्वतन्त्रता के बाद से भष्ट्राचार कभी खत्म नही हुआ है न्याय व्यवस्था गलत करने वालों को दंडित करने में हमेशा विफल रहा है। भष्ट्राचार के प्रमुख जो भाग है वो राजनेता है। तमाम कानुनों के होने के बावजुद मीडिया द्वारा कडा राजनेताओं पर प्रहार करने तथा जनता द्वारा जागरूक होने के बाद भी इस भष्ट्राचार में कोई सुधार नही आ राहा है इसलिये जनता की नजरों में सांसदो की छवि कभी साफ सुथरी नही थी। इनकी छवि तब और गिर गई जब जनता को यह बात पता चली की सरकार ने उनके हाथों में पर्याप्त रकम देने का फैसला किया है।

योजना के बारे में जनता के भीतर संदेह था उसके दो कारण देखे जा सकते है पहला कारण जनता का सांसदो पर विश्वासों की कमी है जिससे सांसदो को हर समय जुझना पडता है। दुसरा कारण यह यह है की जब इस योजना की शुरूआत हुई तब से लोगों का मानना है कि सरकार ने सांसदो को 1 करोंड सालाना (पॉकेट मनी के समान) दिया था। और उन्हें इस राशि को अपनी इच्छानुसार खर्च करने की अनुमति दी थी। इस राशि को जल्द ही बढाकर 2 करोड कर दिया गया जिससे जनता की धारणा को मजबूत किया की सांसद अच्छे नही है उनकी पॉकेट मनी दोगुनी हो गई थी। और यह रकम उनको को बर्बाद करने के लिए बहुत बडी रकम था क्योंकी यह योजना अनुठी थी।

गरीब और मध्यम दोनों वर्ग को आरक्षण प्राप्त है सांसद निधि कैसे खर्च किया जाता है इन दोनो वर्गो की अलग अलग राय है। गरीब जनता सोचती है की एमपीलैडस सांसदो को सक्षम बनाने के लिए उन्हे दिया जाने वाला एक प्रकार का पर्स है। यह जरूरतमंदो को पैसे देने के लिए है जनता सोचती है जब पैसो की जरूरत पडे जैसे की मेडिकल इमरजेंसी के लिए हो शादी या अंतिम संस्कार के लिए हो तो वे सांसदो से संपर्क कर सकते है। जब उन्हे यह बात बताया जाता है की एमपीलैडस का मतलब इन सब कार्यो के खर्च के लिए नही है तो गरीब जनता को बहुत निराशा होती है।

दुसरी ओर मध्यम वर्ग को एमपीलैडस दिशा निर्देश की स्पष्ट समझ नही है। लेकीन वे इस बात से अवगत है की राशि को आवंटन करने के लिए सांसद के हाथ में नही दिया जाता है हालांकि यह मध्यम वर्ग संशयवादियों का एक वर्ग है और राजनेताओं के इरादों पर संदेह करता है। इसलिये भले ही जिला कलेक्टर इस योजना को लागु करते है लेकिन सांसद नियमों के ईद - गिर्द घुमते है और कार्यान्वयन एजेंसियो को ढुढते है जो उन्हे 'हर परियोजना में कटौती' देगे। इसीलिए एक हिदीं टेलीविजन न्यूज चौनल,स्टार न्यूज (एबीपी न्यूज) चौनल,ने एक अन्य मीडिया कपंनी डेडिकेटेड इन्वस्टिगेटर्स गिल्ड स्टिंग आपरेशन का प्रसारण किया गया जिसमें दिखाया गया था की सांसद कैसे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे है। डीआईजी के जांचकताओं ने खुद को एक फर्जी एनजीओं के प्रतिनिधि के रूप में पेंश किया जो चाहता था कि सांसद उनके की जाने वाली परियोजनाओं का प्रस्ताव रखे। इन एनजीओं प्रतिनिधियों ने महसुस किया की सांसद इस योजना के तहत परियोंजनाओं को मंजूरी देने के लिए कमीशन चाहते है। एक बार जब उन्हे आश्वासन दिया गया तो सांसद प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में जिला अधिकारियों को पत्र जारी करने के लिए तैयार थे। जिस आसानी से इन जांचकताओं ने सांसदो या उनके सचिवों के साथ सौदेबाजी की और कंपनियों द्वारा भुगतान की जाने वाली रिश्वत के प्रतिशत पर चर्चा की इससे यह पता है की योजना के नेक इरादों को कमजोर करने के लिए सिस्टम पहले से ही मौजुद थे और इन सब में एमपीलैडस के कार्यान्वयन में भष्ट्राचार एक था।

सांसद निधि क्या है?

23 दिसम्बर 1993 को पुर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने सांसद निधि योजना की शुरूआत कि थी। सांसद निधि बजट का एक हिस्सा होती है शुरूआत में यह राशि प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष 2 करोड और फिर 2011 - 12 में 5 करोड कर दिया गया इस योजना की धनराशि को लोकसभा तथा राज्यसभा सांसद अपने चुनाव क्षेत्र में कही भी जब की मनोनीत सांसद देश भर में कही भी विकास कार्यो के लिए कही भी आवंटित कर सकता है।

Seth R.C.S. Arts & Commerce College Durg Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

सांसद निधि की अवधारणा

संसद सदस्य जिस जिले को नोडल जिले के रूप में चुनता है। इसकी सुचना साख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ - साथ राज्य सरकार और उस जिले के जिलाधिकारी को देनी होती है। किसी के सोसाइटी या ट्रस्ट के सम्पूर्ण जीवनकाल में एक या एक से अधिक कार्यो पर निधि से 1 करोड रूपये से अधिक खर्च नही किया जा सकता। यदि कोई सोसाइटि या ट्रस्ट पहले ही 1 करोड से अधिक का खर्च कर चुका है तो उसे और अधिक का धन नही दिया जा सकता है। जब की किसी भी योजना के लिए स्वीकृत राशि एक लाख रूपये से कम की नही होनी चाहिए।

हॉलाकी यदि जिला प्राधिकरण का मानना है कि कम राशि का काम जनता के लिए फायदेमंद होगा तो वह उसे मंजूरी दे सकता है भले ही काम की लागत एक लागत 1 लाख से कम की हो। इस योजना की राशि सांसद के खाते में नही बल्कि संबंधित जिलो के जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट /डिप्टी कमिश्नर या नोडल अधिकारी के खातो में दो किस्तों वित्त वर्ष के शुरू होने के पहले भेजी जाती है। एक किस्त मिलने के बाद जब तक उनका उपयोग प्रमाण पत्र नही जमा किया जाता तब तक दुसरी किस्त जारी नही होती है।

नरेन्द्र मोदी ने सांसद निधि से कराए कार्मो की समीक्षा और जानकारी मोबाईल ऐप के जरिये देने की व्यवस्था शुरू की है। अपेक्षा यह है की सांसद अपने काम की विडियो और फोटोग्राफ अपलोड करेगे जिससे की इस योजना में कोई नही आये और पारदर्शिता बनी रहे। सांसदो को उनके संसदीय क्षेत्र की जरूरतों के आधार पर जिला प्रशासन को कुछ कार्यो को कराने का सुझाव देना होता है सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में सडक, पानी, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्वच्छता, लाइब्रेरी, सार्वजनिक पार्क आदि के विकास पर खर्च कर सकते है। इसके अलावा वह बाढ, चक्रवात, सुनामी, भुकंप, तुफान, और अकाल जैसे आपदाओं से ग्रसित क्षेत्रों में कार्यो को करवा सकते है। इसके साथ आपदाग्रस्त राज्य के सुरक्षित क्षेत्रों के लोकसभा सांसद राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में 10 लाख रूपए प्रतिवर्ष तक के कार्यो की अनुशंसा कर सकते है।

देश में विकराल प्राकृतिक आपदा आने पर सांसद प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 1 करोड रूपये के कार्यो की अनुशंसा कर सकता है सांसद शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार दुसरे राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में करने के लिए एक वित्तिय वर्ष में 10 लाख रूपये तक के कार्यो का चुनाव कर सकते है। सांसद द्वारा अनुशंसित योजनाओं में दो लाख रूपये तक की योजनाओ का कार्यान्वयन लाभुक समिति के माध्यम से किया जाता है। जब की दो लाख से अधिक 15 लाख रूपये तक की योजनाओं का कार्यान्वयन विभाग के माध्यम से किया जा जाता है वही 15 लाख से अधिक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया जाता है। जिला प्रशासन सांसद निधि योजना के नियमों को ध्यान में रखते हुए सांसद के सुझावों के आधार पर इन कार्यो को पुरा कराते है। इसके बाद जिला प्रशासन सांसद निधि के खर्चो से जुडे दस्तावेज साँख्यिकी मंत्रालय को भेजता है जिसके बाद अगली किस्त जारी होती है। सांख्यिकी मंत्रालय जिला प्रशासन की ओर से आए दस्तावेजों में गलती पाए जाने पर सांसदों को मिलने वाली अगली किस्तों को रोक देता है हालाकी उनमें हर साल 5 करोड रूपए तभी जारी किए जाते है जब वे चालु वित्तिय वर्ष में कुल राशि का 80 प्रतिशत खर्च करे।

सांसद निधि की समस्या

(1) देश के सांसद अपनी विकास निधि की भारी राशि खर्च नही कर रहे है जिसमे से ज्यादातर राशि जिला एजेंसी या प्राधिकारीयों के खाते में रखी हुई है।

(2) अब सांसद निधि का उपयोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए कम किया जा रहा है जबकी इसका प्रयोग राजनीतिक प्रयोजन के लिए अधिक हो राहा है।

(3) एक बडी समस्या यह है की इस योजना में जवाबदेही तय नही हो पाती है क्योंकि सांसद अपना दायित्व से मुकर जाते है और कहते इस योजना को अमल में लाने का काम जिला प्रशासन का है और जिला प्रशासन सांसद के आदेश के अनुसार योजना को लागु करता है।

समाधान

(1) सांसद निधि योजना के लिए एक नया ढॉचा बनाने की आवश्यकता है जो न केवल पारदर्शी हो बल्कि वह सांसद और जिला प्रशासन दोनो को जवाबदेही हो।

(2) जनताओं को भी जागरूक होने की आवश्यकता है जनता को यह पता होना चाहिए की सांसदो को एक प्रकार की राशि मिलती है अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए जिससे जनता इस राशि की मांग कर सके।

(3) अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए तथा सांसद निधि को वित्तिय वर्ष में पुरा - पुरा खर्च करने के लिए सांसदो और जिला प्रशासन के बीच समन्वय तथा सहयोग की आवश्यकता है।

(4) सांसद निधि का उपयोग जरूरतमंद लोगों को सहानुभूति राशि के रूप में भी प्रदान किया जाना चाहिए जिससे की कीसी गरीब वर्ग के व्यक्ति जो इलाज कराने में असमर्थ हो उसकी मदत हो सके।

(5) सांसद निधि योजना के तहत जितने भी निर्माण कार्य होते है उनकी देख रेख के लिए स्थानीय समुदाय के उत्तरदायित्व को सुनिशिचित करना होगा।

निष्कर्ष

सांसद निधि की राशि को खर्च करने की प्रक्रिया पर विचार करने की जरूरत है। यदि सांसद निधि का पैसा खर्च नही हो राहा है तो जरूरी नही की सांसद की ही गलती हो और हमेशा सांसद को दोष देना सही नही है। प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन हो या प्रोग्रेस रिर्पोट जमा करना हो या मासिक रिर्पोट जमा करना हो तो अगर जिला प्रशासन समय पर नही जमा करेगा तो निश्चित रूप से अगली किस्त नही मिलेगी जिला प्रशासन अगर सांसद का सहयोग नही

Seth R.C.S. Arts & Commerce DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College Durg (C.G.)

कर राहा है। तो निश्चित रूप से इस राशि का उपयोग नही कर पायेगा। पंचायती राज के लिए बजट विधायको का फंड और सांसदो का फंड इन तीनों के लिए कही ना कही अलग - अलग काम निधार्रित होने चाहिए जिससे ओवर लेपिंग ना हो एमपीलैडस को उपयोग करने में जो कमियॉ है। उसे दुर कर लिया जाएगा तो इस फंड को हम ज्यादा अच्छे तरीके से जनता के हित में काम कर सकते है। इसके साथ ही वर्तमान समय में सांसदो को प्रदान की जाने वाली सांसद निधि का उपयोग स्वास्थय सेंवाओं के साथ साथ जरूरतमंद ऐसे व्यक्तियों जिनको वास्तिविक रूप से सहायता की आवश्यकता है उनको सांसद निधि से कुछ अंश देकर उनकी सहायता किये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। ताकि उनका कुछ सहायता हो और अपना कार्य पुर्ण कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. फर्स्ट सेट आफ गाइड लाइन फार द एमपीलैड्स फरवरी 1994ए भारत सरकार नई दिल्ली।
2. प्रकाश ए सूर्यरू पब्लिक मनी प्राइवेट एजेण्डा द यूज एण्ड एब्यूज आफ एमपीलैड्स रूपा पण् नई दिल्ली 2013।
3. मिश्रा नृपेन्द्ररू हम एमपीलैड्स के परिणामों के बारे में कितना गम्भीर है नवीनतम संसदीय सुधार 28 जून 2013।
4. सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा-निर्देश जून 2016।
5. सिंह बब्बर श्री गुरबचनरू कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिकाए नवम्बर 2014।
6. पंत एण्डीण् एण्ड विमल कुमाररू ष्परसेप्शन आफ असेम्बली लेजिसलेचर्रा इन सोशियो इकोनोमिक चेन्जए इण्डियन काउन्सिल आफ सोसल साईन्स रिसर्चए नई दिल्ली में उपस्थित प्रोजेक्ट रिपोर्ट ;अप्रकाशितद्ध।
7. फर्स्ट रिपोर्ट आफ एमपीलैड्सए दिसम्बर 2003ए नई दिल्ली।
8. सोशल एण्ड डेवलमेंट न्यूज इन इण्डियाए नेशनल लीगल रिसर्च डेस्कए 18 जून 2013ए दिल्ली।
9. एमपीलैड्सए गाइड लाईनए 2012 भारत सरकारए नई दिल्ली।
10. संशोधित एमपीलैंड्सए दिशा-निर्देशए 2012ए भारत सरकारए नई दिल्ली।
11. फर्स्ट रिपोर्टए मेम्बर आफ पार्लियामेंट लोक एरिया डेवलपमेंट स्कीमए मिनिस्ट्री आफ रूटेटिस्टिकम एण्ड प्रोग्राम इम्पीलमेंटेशनए गर्वरमेंट आफ इण्डियाए न्यू दिल्ली दिसम्बर 2006।
12. देव विजयः शोध प्रबंधक विकास और राजनीतिक आजमगढ़ जिले में एमपीलैड्स की समीक्षाए पब्लिकेशन यूनिवर्सिटी आफ इलाहाबादए 2016।

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)